न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 62/2020 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2020/00064**

1. जसदीप सिंह पुत्र श्री इकबाल सिंह जाति जटसिंख आयु 22 वर्ष निवासी 3 जीबी जैतसर हिस्सेदार चक 13 एसडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान
2. ग्राम पंचायत 13 एस डी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 13 एस डी तहसील सूरतगढ़।
3. जानीदेवी पत्नी श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ़।
4. राममुर्ति देवी पत्नी श्री प्रहलाद जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ।
5. महावीर प्रसाद पुत्र श्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी चक 13 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. सोहन लाल पुत्र श्री नानकराम जाति मेघवाल निवासी चक 13 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. राजेश पुत्र श्री मनोहरलाल जाति मेघवाल निवासी चक 13 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. बनवारीलाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी चक 13 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
9. कालूराम पुत्र श्री भीयांराम जाति मेघवाल निवासी चक 13 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
10. विनोद कुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी चक 13 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
11. हरचंद पुत्र श्री बीरवलराम जाति मेघवाल निवासी चक 13 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
12. पालाराम पुत्र श्री श्योकरण जाति मेघवाल निवासी चक 13 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
13. पवन कुमार पुत्र श्री रामदास जाति मेघवाल निवासी चक 13 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
14. पृथ्वीराज पुत्र श्री गणपतराम जाति मेघवाल निवासी चक 13 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

15 राजेन्द्र पुत्र श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चक 11 एस डी तहसील सूरतगढ़।

16 हेतराम पुत्र श्री मोतीराम जाति मेघवाल निवासी चक 11 एस डी तहसील सूरतगढ़।

17 रघुवीर पुत्र श्री माहीराम जाति नायक निवासी चक 11 एस डी तहसील सूरतगढ़।

18 मुखराम पुत्र श्री अर्जुनराम जाति नायक निवासी चक 11 एस डी तहसील सूरतगढ़।

19 ओमप्रकाश पुत्र श्री तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी चक 11 एस डी तहसील सूरतगढ़।

20 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिह जाति मजहबीसिंख निवासी चक 11 एस डी तहसील सूरतगढ़।

21 लीलुराम पुत्र श्री गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी चक 13 एसडी तहसील सूरतगढ़।

22 साधुराम पुत्र श्री मेहराराम जाति नायक निवासी चक 3 जीबी तहसील श्रीविजयनगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री नायबसिंह बूटर — अभिभाषक अपीलांट्स
राजकीय अभिभाषक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 03.02.2026

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 22.09.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —

1— अपीलांट का रकबा उसके भाईयों के साथ मुश्तरका खाता में चक 13 एसडी तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 48 में स्थित हैं अपीलांट का रकबा मुरब्बा नंबर 10 के किला नंबर 1 व 10 में पश्चिमी तरफ 0.101 हैक्टेयर रकबा राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.09.2016 द्वारा चक 13 एसडी तहसील सूरतगढ़ के प.न. 116/391(10) किना नंबर 1/1 की 0.051 एव 10/1 की 0.050 हेक्टयर कुल 0.101 हैक्टयर राजकीय भूमि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत हड्डारोडी हेतु आरक्षित करने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.09.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत 13 एसडी के गलत प्रस्ताव पर उपखंड अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2851 दिनांक 05.09.2016 से जिलाधीश गंगानगर को उक्त प्रस्तावित स्थान जो कि अपीलांट के कब्जा में है को हड़डारोडी आरक्षित करने के लिए लिखा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वार बिना अपीलांट को नातिस दिये चुपचाप आदेश दिनांक 22.09.2016 से हड्‌डारोडी के लिए आरक्षित करने का आदेश पारित कर दिया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व न तो अपीलांट को आपत्ति सूचना जारी की गई तथा ना ही आपत्ति पेश करने का अवसर दिया गया जबकि अपीलांट हर प्रकार से कब्जा जारी होने से प्रभाविता पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित किया हैं। उक्त वादगत स्थान सूरतगढ़ रोड़ के पास स्थित हैं। रोड़ क़े पास होने के कारण दुर्घटना होने की सभावना है। ग्रामवासियों ने उक्त जैर अपील आदेश को विरूद्ध किया था रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ,4 का रकबा प्रस्तावित स्थान के साथ चिपता हुआ है तथा रेस्पोडेनट संख्या 3,4 भी हडडारोडी के लिए सहमत नही रहे है। जबकि वह भी प्रभावित पक्षकार थे उनको भी सुना नही गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात की जांच नही की कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व गांववासी मृत पशुओं की हड्डियां कहां पर डालते है यदि इस बारे में जांच की जाती तो भी सही तथ्य सामने आ जाते तथा ऐसा आदेश पारित नही होता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधिनस्थ न्यायालय निरस्त करने पुनः सुनवाई करने तथा जांच करने तथा पुनः निर्णय करने का आदेश फरमाया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.09.2016 द्वारा चक 13 एसडी तहसील सूरतगढ़ के प.न. 116/391(10) किना नंबर 1/1 की 0.051 एव 10/1 की 0.050 हेक्टयर कुल 0.101 हैक्टयर राजकीय भूमि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत हड़डारोडी हेतु आरक्षित करने के आदेश पारित कर दिए। उपरोक्त जैर अपील आदेश जारी करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी सूतरगढ़ के प्रस्ताव भिजवाने पर नियमानुसर आदेश पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ ने पूर्ण जांच कर एवं नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 22.09.2016 को उक्त वादगत भूमि के प.न. 116/391(10) किना नंबर 1/1 की 0.051 एव 10/1 की 0.050 हेक्टयर कुल 0.101 हैक्टयर राजकीय भूमि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत हड्डारोडी हेतु आरक्षित करने के आदेश पारित कर दिए। उक्त प्रकरण में रिकॉर्ड का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण में आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व न तो अपीलांट को आपत्ति सूचना जारी की गई तथा ना ही आपत्ति पेश करने का अवसर दिया गया अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने उक्त प्रकरण में एकतरफा आदेश पारित किया हैं। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2016 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर